तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	9.9.2020
	पत्रावली पेश/ अनुपालन उक्त वकील प्रतिवादी क्र. 9.10 का ओब्जेक्शन आदेश 22 नियम 4, 9, 10 CPC व 151 का को स्वीकार किया जाता है तथा वकील वादी का ओब्जेक्शन आदेश 22 नियम 4, 9 CPC को अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर शा. मिसल किया जावे। पत्रावली वादी का बाद पेशी से एवीडेंस में लिया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलेक्टर (SDO), खींवसर

और आकस्मिक ढंग से प्रस्तुत था परिसीमा कानून औपचारिकता नहीं है विलम्ब के कारण प्रा.0पत्र खारिज होने योग्य है। इसी प्रकार प्रकरण में वादी द्वारा चंपालाल की विधिक प्रति. को प्रतिस्थापित करने का प्रा.पत्र आकस्मिक ढंग से पेश किया है, विलम्ब शमन के पर्याप्त कारण नहीं है वादी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं थे और विलम्ब के कारण वादी का आवेदन Ordar 22 Rule 4, 9 cpc ,or 5 Limitation खारिज योग्य है एवं परिसीमा कानून के तहत विलम्ब को माफ नहीं किया जा सकता है ऐसी स्थिति में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यह नजीर प्रकरण पर परिसीमा के बाबत् पूर्ण रूप से चस्पा होने के कारण वाद वादी की दर0 Ordar 22 Rule 4, 9 cpc म्याद बाहर पेश होने से खारिज होने योग्य है । जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा वकील वादी की उपस्थिति में ही चपांलाल के देंहात की सूचना जरिए प्रा.पत्र दे दी थी। उसके प्रश्चात विभिन्न तिथियो पर दोनो वकील उपस्थित रहे थे। ओर प्रति चपांलाल की मृत्यु होने की जानकारी के बावजूद 7 माह बाद में प्रार्थना पत्र किया गया है वादी को व वादी के अधिवक्ता को जानकारी भली भांति होने के बावजूद व दर0 Ordar 22 Rule 4, 9 cpc म्यादअधिनियम के स्पष्ट कानूनी प्रावधानो के बावजूद वादी व वादी के अधिवक्ता द्वारा समय सीमा में चंपालाल के कायममुकाम हेतु प्रार्थना पत्र पेश नहीं करना एवं अबेंटमेंट अपास्त करने की Relief नहीं मागंने से वाद वादी स्वतः उपशमित अबेंट होने से खारिज योग्य है इस हेतु वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरटी 2003 (1) पेज सं. 343 Laxmandas v/s State of Rajasthan and ors प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है।

निर्णय

इस प्रकार विद्वान अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र एवं जबाब प्रार्थना त्र, उपलब्ध दस्तावेजात, साक्ष्य रिकार्ड एवं प्रस्तुत विभिन्न न्यायिक द्वष्टांतो के विवेचन से मैं इस ष्कर्ष पर पहूँचा कि वाद वादी स्वतः उपशमित हो जाने से, वादी द्वारा समय सीमा के भीतर तिवादी चंपालाल की मृत्यु की जानकारी होने के बावजूद दर0 Ordar 22 Rule 4, 9 cpc पेश नहीं रने से एवं 5 Limitation के प्रा.पत्र में विलम्ब को क्षमा करने का पर्याप्त व उचित कारण नहीं होने वाद वादी स्वतः उपशमित होने से एवं उपशम्मन अपास्त करने की Relief नहीं मांगने से तिवादी के विद्वान अधिवक्ता का आवेदन आदेश 22 नियम 4, 9, 10 सीपीसी, 151 सीपीसी को वीकार किया जाता है और वादी के विद्वान अधिवक्ता का आवेदन आदेश 22 नियम 4, 9 सीपीसी, 51 सीपीसी तथा आवेदन अन्तर्गत 5 भारतीय मियाद अधिनियम को अस्वीकार किया जाता है तथा ादी के वाद को जरिये अबेटमेंट (**Abatement**) में खारिज किया जाता है।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर

उक्त निर्णय आज दिनांक : 09.09.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर